न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः लोकेश कुमार मीना, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 01 / 2019, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामजीलाल मीना निवासी काली पहाडी थाना सदर दौसा जिला दौसा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार ।
: गैर सायल बावजूद तामील उपस्थित नहीं

–: निर्णय :– दिनांकः– 04.03.2020

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी थाना सदर दौसा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामजीलाल मीना उम्र 21 वर्ष निवासी काली पहाडी थाना सदर दौसा जिला दौसा पर निम्नलिखित मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा(जुर्माना) हुआ है।

1. मु. सं. 156 / 16 दिनांक 09.06.2016 धारा 13 RPGO सजा 14.07.2016
2. मु. सं. 310 / 16 दिनांक 29.10.2016 धारा 13 RPGO सजा 01.12.2016
3. मु. सं. 181 / 18 दिनांक 16.07.2018 धारा 13 RPGO सजा 04.09.2018

उक्त शख्स जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामजीलाल मीना जुआ / सट्टा करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। जिससे इलाके में व्यक्तियो की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है व समाज में नई पीढी पर गलत असर पड रहा है। उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) 5 के अन्तर्गत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद तामील उपस्थित नहीं आया। लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल के विरूद्ध तीन मुकदमे थाना कोतवाली में दर्ज होकर गैर सायल को सजा हो चुकी है। उक्त शख्स आदतन रूप से इलाके में जुआं सट्टा खेलने का आदि है। जिससे इलाके में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

गैरसायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामजीलाल मीना काली पहाडी थाना क्षेत्र सदर थाना जिला दौसा में आपराधिक प्रवृतियों मे लिप्त रहने एवं शान्ति भंग करने का आरोपी है एवं गैर सायल की उक्त प्रवृतियों के कारण समाज में नई पीढी पर गलत असर पड़ रहा है। गैर सायल के उक्त कृत्यों के कारण सार्वजनिक स्थानों पर भय व्याप्त है। गैर सायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामजीलाल मीना अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामजीलाल मीना को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

लोक अभियोजक पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामजीलाल मीना उम्र 21 वर्ष निवासी काली पहाडी थाना सदर दौसा जिला दौसा उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल पर काली पहाडी थाना सदर दौसा जिला दौसा पर मुकदमे दर्ज होकर अदालत से सजा(जुर्माना) भी हो चुका है। उक्त शख्स आदतन रूप से जुआं/सट्टा खेलने का आदि है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाज में सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी अपनी कार गुजारियों के द्वारा माहौल को खराब नहीं कर सके।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामजीलाल मीना उम्र 21 वर्ष निवासी काली पहाडी थाना सदर दौसा जिला दौसा को दिनांक 6.3.2020 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बांदीकुई एवं राजगढ के रास्ते होते हुए थाना मालाखेडा जिला अलवर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी मालाखेडा जिला अलवर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में थाना क्षेत्र मालाखेडा जिला अलवर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थाना अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं अलवर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। संबंधित को आदेश की प्रति भिजवाई जावे ।

यह निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official